

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 504 का उत्तर

सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की सेवाएं लेना

504. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ट्रेन सेवाओं में उभरती मांगों के मद्देनजर विभिन्न परिचालन और तकनीकी भूमिकाओं के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ले रही है;
- (ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान ज़ोन-वार और वर्ष-वार पुनर्नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
- (ग) नई भर्ती में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति को प्राथमिकता देने के कारणों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने योग्य युवा अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसरों पर उक्त पुनर्नियुक्तियों के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि अल्पकालिक कामचलाऊ उपायों का पक्ष लेते हुए महत्वपूर्ण रेलवे पदों पर नई भर्ती की उपेक्षा नहीं की जाए?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल में उसके आकार, स्थानिक वितरण और परिचालन महत्व को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, यंत्रीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकता को

पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति मुहैया कराई जाती है। इन रिक्तियों को मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेन्सियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है।

वर्तमान में भारतीय रेल में वार्षिक कैलेंडर 2024 और 2025 के अनुसार 120579 रिक्तियों की भर्ती की जा रही है।

सहायक लोको पायलटों (एएलपी), तकनीशियनों, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर(जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस)/रसायन एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल कोटियों, गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक), मिनिस्टीरियल एवं आइसोलेटेड कोटियों और सहायकों, रेलपथ अनुरक्षकों और पाइंट्स मैन जैसे लेवल-1 के पदों को भरने के लिए जनवरी से दिसम्बर 2024 के दौरान 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई हैं। विवरण इस प्रकार हैं -

59,678 पदों के लिए पहले चरण एकल चरण/की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं(सीबीटी) पूरी की जा चुकी है। इनका विवरण निम्नानुसार हैं-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद हेतु प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (18,799 रिक्तियां)	18,40,347	156	15
तकनीशियन के पद हेतु सीबीटी (14,298 रिक्तियां)	26,99,892	139	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद हेतु प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (7,951 रिक्तियां)	11,01,266	146	15
रे.सु.ब.-उप निरीक्षक के पद हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा (452 रिक्तियां)	15,35,635	143	15
रे.सु.ब.-कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (4208 रिक्तियां)	45,30,288	147	15
पैरामेडिकल कोटियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (1376 रिक्तियां)	7,08,321	143	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) के लिए प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (8113 रिक्तियां)	58,41,774	141	15

गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व स्नातक) के लिए प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (3445 रिक्तियां)	63,27,473	157	15
मंत्रिस्तरीय और पृथक श्रेणियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (1,036 रिक्तियां)	4,46,013	139	15

सहायक लोको पायलट, जेई/डीएमएस/सीएमए और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) के पदों के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी पूरी की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार है: -

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद हेतु द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (18,799 रिक्तियां)	2,66,363	112	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद हेतु द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (7,951 रिक्तियां)	1,17,339	118	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) के लिए द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (8113 रिक्तियां)	1,21,931	129	15

सहायक लोको पायलट के पद के लिए कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) भी पूरा किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है:-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद हेतु कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) (18,799 रिक्तियां)	1,32,044	84	2

लेवल-1 श्रेणियों के लिए 32,438 रिक्तियों के लिए सीबीटी दिनांक 27.11.2025 से 15 भाषाओं में 140 शहरों में शुरू किया जा चुका है। कांस्टेबल (आरपीएफ) की 4,208 रिक्तियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) 13.11.2025 से शुरू किया जा चुका है।

तकनीशियनों, जूनियर इंजीनियरों, पैरामेडिकल श्रेणियों, सब-इंस्पेक्टरों (आरपीएफ) और सहायक लोको पायलटों के पदों सहित 23,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए पैनल मांगने वाले रेलवे को भेजे गए हैं। उनमें से अधिकांश संरक्षा श्रेणियों में हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 28,463 रिक्तियों के लिए सात केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएनएस) भी जारी की गई हैं। विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सीईएन सं.	पद का नाम	अधिसूचित की गई रिक्तियों की सं.	अधिसूचना जारी करने का महीना
1	01/2025	सहायक लोको पायलट	9,970	मार्च 2025
2	02/2025	तकनीशियन	6,238	जून 2025
3	03/2025	पैरामेडिकल कोटियाँ	434	जुलाई 2025
4	04/2025	खंड नियंत्रक	368	अगस्त 2025
5	05/2025	जूनियर इंजीनियर/ डिपो सामग्री अधीक्षक	2,585	अक्टूबर 2025
6	06/2025	एनटीपीसी (स्नातक)	5,810	अक्टूबर 2025
7	07/2025	एनटीपीसी (पूर्व स्नातक)	3,058	अक्टूबर 2025

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं जिनमें बड़े पैमाने पर कर्मियों और संसाधनों को जुटाने तथा जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। रेलवे ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती का सफलतापूर्वक संचालन किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह के कदाचार की कोई घटना सामने नहीं आई है।

वर्ष 2004-2005 से 2013-14 की तुलना में 2014-2015 से 2024-2025 के दौरान भारतीय रेल में की गई भर्तियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

अवधि	भर्तियां
2004-2005 से 2013-2014	4.11 लाख
2014-2015 से 2024-2025	5.08 लाख

इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पद की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की एक प्रणाली शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत से अभ्यर्थी निम्नानुसार लाभान्वित हो रहे हैं:

- अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर;
- प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करने वालों को अवसर;
- परीक्षाओं की निश्चितता;

- भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेज़ी।

बहरहाल, कभी-कभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को खाली पदों पर अस्थायी रूप से योग्यता, अनुभव आदि के आधार पर पुनः नियुक्त किया जाता है ताकि जब तक कि निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित आधार पर पद भरे न जाएँ तब तक विकासात्मक और अन्य कार्यों की सुचारु प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
